

कार्यालय पुलिस
संख्या एराटी सी 380/200

जनपद बलिया।
दिनांक अक्टूबर 18/2008


सेवा में,

श्री एन०के० कौशिक,
सहायक निदेशक,
राष्ट्रीय अनुरूचित जनजाति आयोग,
छठी मंजिल 'वि०' विंग, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली 11 0001

कृपया अपने पत्र संख्या एलएमजी/अत्याचार/आदर/
30प्र०/0621/2008/आरयू 1 दिनांक 6 8 2008 का संदर्भ ग्रहण करने
की कृपा करें जो आवेदक श्री लाल मोहर गोड़ पुत्र स्व० रामपति गोड़
साकिन टोलानेका राय थाना बैरिया बलिया का शिकायती प्रार्थना पत्र पर
जॉच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

2. उपरोक्त के संदर्भ में सादर अवगत कराना है कि उक्त
आवेदक के शिकायती प्रार्थना पत्र में अंकित आरोपों/तथ्यों की जॉच
क्षेत्राधिकारी बैरिया श्री सिद्धार्थ द्वारा करायी गयी, जो कि स्वतः स्पष्ट है।
जॉच से पाया गया कि आवेदक द्वारा वर्ष 2003 में सोनालिका ट्रैक्टर
न०-यूपी 60डी 8714 लोन पर लिया गया था, जिस पर बब्वन सिंह अपने
जमीन का कामजात देकर ग्रान्टर बने थे। आवेदक द्वारा योजनाबद्ध तरीके
से ट्रैक्टर को बंगाल भेजकर अपने लड़के को थाना बैरिया पर भेजकर
ट्रैक्टर वारी के सम्बन्ध में सूचना दिया गया परन्तु स्थानीय पुलिस द्वारा
अपने प्रयास से ट्रैक्टर मय टाली व हल की बरामदगी कर लिया गया और
ग्रान्टर बब्वन सिंह के प्रार्थना पत्र पर थाना बैरिया पर गु०अ०रा० 111/08
धारा 406/419/ 420 माददि बनाम लालमोहर, लालजी, गोपाल जी,
तुलसी व बीरबल के विरुद्ध पंजीकृत होकर विवेचना प्रारम्भ की गयी।
दौरान विवेचना लालमोहर, लालजी, बीरबल व मगवान को गिरफ्तार कर
जेल भेजा गया। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी करते हुए विवेचना के
निस्तारण हेतु क्षेत्राधिकारी बैरिया/थानाध्यक्ष बैरिया को निर्देशित किया गया
है। जॉच आख्या एवं शिकायती प्रार्थना पत्र संलग्न कर भेजा जा रहा है।
संलग्नक. उपरोक्त।

(श्रीधर पाठक)
पुलिस अधीक्षक
बलिया।



28

20/10/08
S. S. S.

ANARU-1

130/11/08 - I/2-08

meary

24/11/08